न्यायालय तहसीलदार (सदर) कानपुर नगर।

वाद सं0–598 / 10–11

महावीर सह0आ0स0 बनाम श्रीमती रामलली

धारा–34 / 35 एल0आर0 एक्ट ।

मौजा–बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों मे अपना नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इस्तहार जारी किये गये जो बाद तामीली शामिल पत्रावली हैं। किसी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुयी। वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। विक्रीत भूमि पर वादी का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विक्रीत भूमि के0डी0ए0, सीलिंग, भूदान, पट्टा आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को पढा। पत्रावली में उपलब्ध मूल बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विक्रय किया जाना सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ। अतः वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खतौनी वर्ष 1415 फ0 लगायत 1420 फ0 के खाता सं0 386 आराजी सं0 1044 / 0.328, 1090 / 0.051हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.379हे0 के 1/4 भाग मालगुजारी 60रु0 से विक्रेती श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी म0नं0 124 / 44बी ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दिनॉक 07–08–2010 के आधार पर क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री ए0के0जैन पुत्र श्री जे0के0 जैन निवासी म0नं0 73 आर0एस0पुरम काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर / सहकृषक दर्ज कागजात किया जावे। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जावे ।

दिनॉक– 8·2·11

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर।

3607

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE [illegible] RUPEES

Advocate
Court Compound, Kanpur

890
7-8-10

478

|| श्रीगणेशायनमः ||

मन् कि श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी मकान नम्बर १२४।४४ बी ब्लाक गोविन्द नगर शहर कानपुर की हूँ।

विदित हो कि मिन मुकिर आराजी भूमिधरी नम्बरी १०४४ रकबा ०.३२८ है० व १०६० रकबा ०.०४१ है० कुल दो किता कुल रकबा ०.३७६ है० यानी १।।।)२ स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के १।४ भाग की तनहा मालिक, काबिज दखील

रामलली
रामललानी

2

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(२)

संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारिया है। मिन मुकिरा के हिस्से में अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है, और न ही भागीदार है। कब्जा भी मिन मुकिरा का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी भूराजस्व अभिलेखों में बताना मिल्कियत है। मिन मुकिरा की उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित आज दिन तक कुल्ला बार किफालत से बरी पाक व साफ है। कहीं रहन, बय, हिबा, मुस्तगरक, जमानत आदि नहीं है तथा किसी डिग्री व इजराये डिग्री में कुर्क अथवा बराये नीलाम नहीं है, तथा मिन मुकिरा की किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक उक्त

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(3)

जायदाद को विक्रय आदि करने से भी नहीं रोका गया है। उक्त जायदाद किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक एक्वायर नहीं कीगयी है और न ही मिन मुकिरा को एक्वायर करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है तथा मिन मुकिरा की उक्त जायदाद के लोन आदि में बन्धक नहीं है तथा कोई हल्लद इनकम टैक्स या सेल टैक्स की नहीं है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार बेबाक व साफ है तथा मिन मुकिरा को उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित को बजरिये बयनामा विक्रय करने सम्बन्धी समस्त अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि मिन मुकिरा

राम लाली
रामवती

2

1000 Rs.

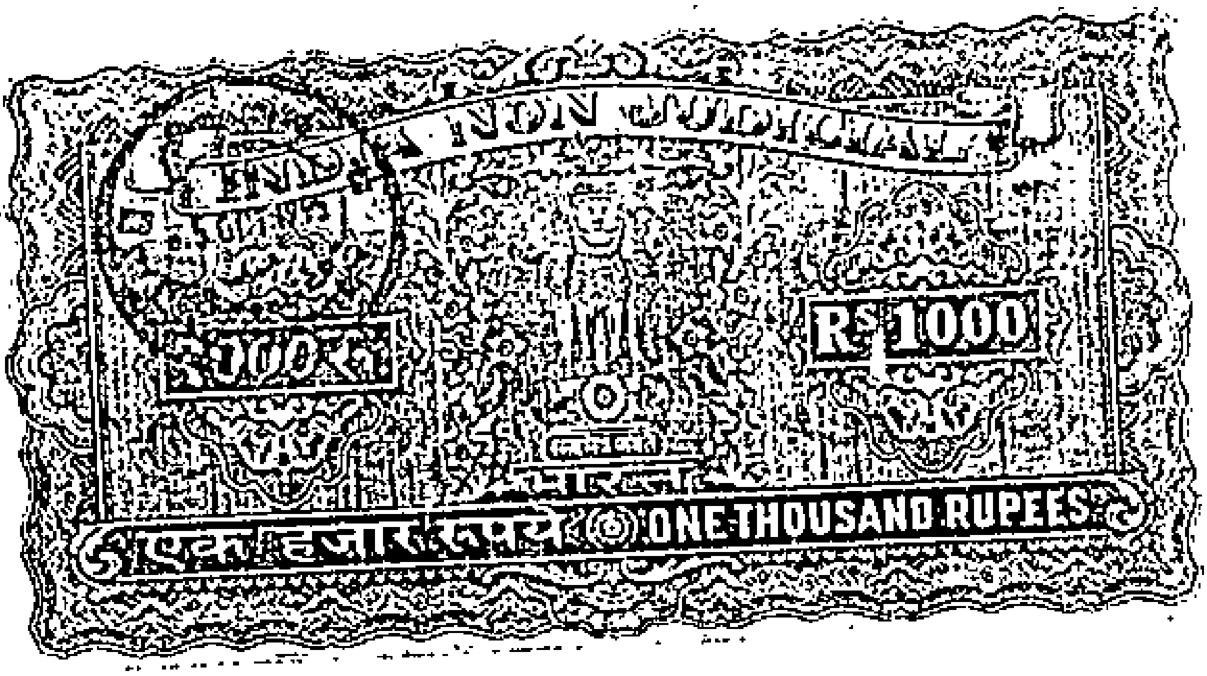

(४)

को वास्ते सब सामग्री व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति
हेतु रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है, जो कि बिना
मेरे द्वारा आराजियात उपरोक्त विवरण हस्ब जैल मिन
मुकिर की जरूरत रफा नहीं हो सकती है। लिहाजा
मिन मुकिर ने उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित
को बेचना उचित समझा व बेचने की बाबत इधर उधर बात-
चीत की तो उपरोक्त आराजियात को मु० मालिक, काबिज
दर्शित महावीर सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय
सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री ए० के० जैन
बालिग पुत्र श्री बी० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३ वार्ड० १३०

रामलाल
रामलाल

1000Rs.

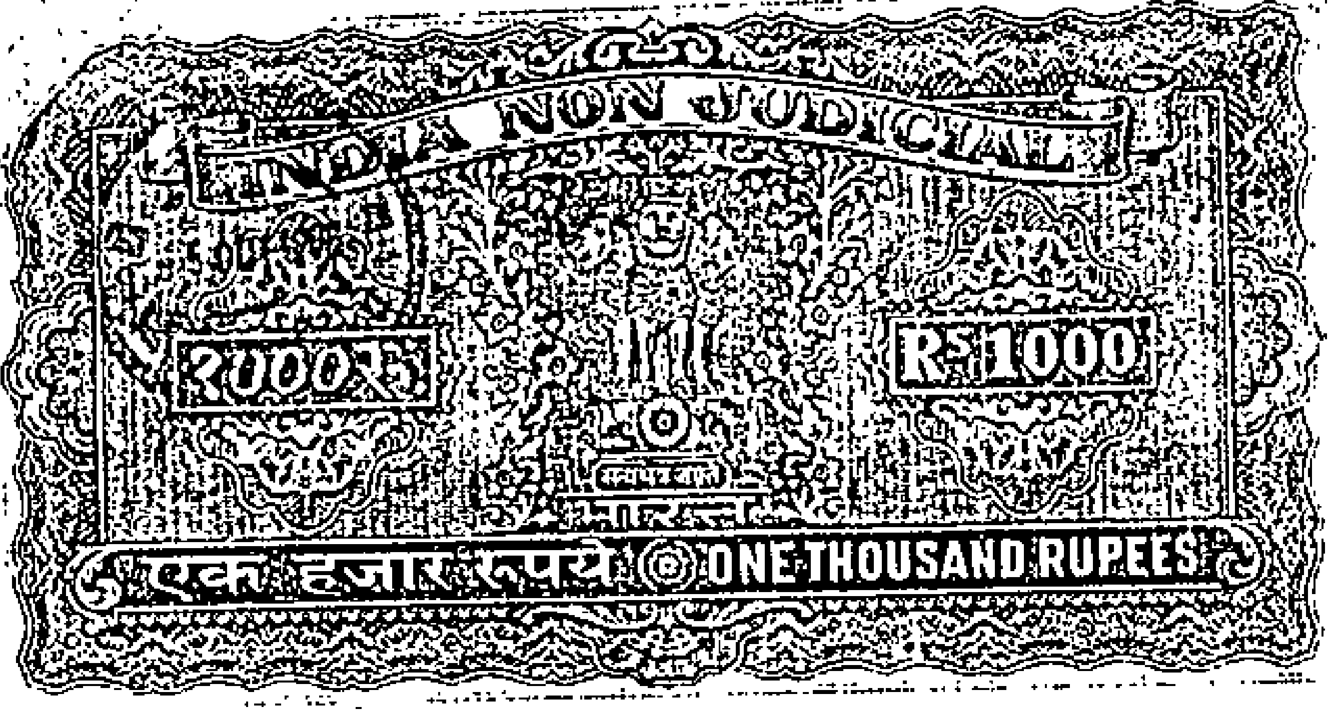

पुरा काकादेव शहर कानपुर मिल स्थल मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया में मिन मुफरिका १।४ भाग विवरण निम्नलिखित को खरीद करने पर तैयार व रजामन्द है, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है। तथा मिन मुफरिका को मंजूर व तस्लीम है। इससे ज्यादा कीमत में उक्त जायदाद नहीं बिक सकता है। उपरोक्त खरीदार समिति ने उक्त कुल बाराजियात का निस्फ भाग पहले ही सह काश्तकारान शिवप्रसाद वगैरह से क्रय कर लिया है। लिहाजा बहालत सेहत नात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला

रामलली
रामलली

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

जिसे हम मुकिरान के मय कुल्ला एक व हकूक दाखिली व खारिजी राह व फायदा जितना होते हुए जिसे चीज के मय हकूक मालिकाना व इन्तकाली सहित मिल स्वत्व मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपयार्थ बदस्तखतकारी सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड, शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए०के० जैन बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३, जा० एस० पुरम, काकादेव शहर कानपुर को विक्रय कर दिया यानी बैंक ड्राफ्ट तथा मिन मुकिरान ने कुल विक्रय धनराशि मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया जिसके आधे मुबलिग २३,१२५।- तेईस हजार एक सौ पचीस रुपया होते हैं, निम्नलिखित तफसील के अनुसार बराबर

रामलाला
रामलाला

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(७)

खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है। मिन मुकिर ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा से अपना कब्जा दखल मालिकाना व वाकई कतई मौके से हटा कर मिस्ल अपने कब्जा दखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुबैया हाजा पर आज की तारीख से खरीदार समिति को करा दिया तथा मालिक, काबिज करा दिया, आज की तारीख से खरीदार समिति जायदाद मुबैया हाजा का एक मात्र मालिक, काबिज व दखील हो गया तथा उसे कुल अधिकार जायदाद मुबैया हाजा की

राम लाल
रामलाल

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

निस्बत मालिकाना, इन्तकाली, दाखिली व खारिजी हासिल आयन्दा के शामिल हो गये हैं। अब मन्दिर समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद मुबैया हस्बा पर मालिक, काबिज, बदखिल रह कर जिस प्रकार से चाहें अपने इस्तेमाल व प्रयोग में लायें। हमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उज्र व एतराज न होगा। मन्दिर समिति को चाहिए कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बजाय मुकिरिया दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम मिन मुकिरा खारिज करा देवे। बिक्री रजामन्दी उस बयनामा हाजा द्वारा समझी जायेगी। फिर

रामलली

रामलली

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs

(1)

भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिरा अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देने को पाबन्द होगी। मिन मुकिरा ने जायदाद उपरोक्त के पूर्ण रूप से पाक व साफ होने का यकीन व इतमिनान खरीदार समिति को करा दिया है। फिर भी यदि मुकिरा के फेले या तफेले या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से जायदाद मुबैया सारा का कुल या कुछ भाग कब्जा खरीदार समिति के हक से निकल जावे या खरीदार समिति को जायदाद मुबैया सारा की निस्बत बाज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या खर्च करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिरा व वारि-

रामलली
रामलली

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

सान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिराकी होगी, और मंदिर समिति को अधिकार होगा कि वह अपना कुल अर समन मय हरजा खर्चा के मुकिरा की दीगर जात माल जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एतराज न होगा। कुल्ला शरायत दस्ता-वेज हाजा की पाबन्दी मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा पर लाजिम व वाजिब होगी।

रामलाला

रामलाला

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दबाव नाजायज के स्वस्थ्य, मन, बुद्धि, चित्त व इन्द्रियों की स्वस्थ्य दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से यह चन्द कलमात बतौर वसीयतनामा कलमबंद तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण जायदाद मुवैया

आराजियात भूमिधरी नम्बरी १०४१ एक हजार
चवालिस रकबा ०.३२८ हे० शून्य दशमलव तीन दो आठ

रामलली
रामलली

2

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

हे० व आराजी भूमिधरी नम्बरी १०९० एक हजार
नब्बे रकबा ०.०५१ हे० शून्य दशमलव शून्य पांच एक
हे० कुल दो किता कुल रकबा ०.३७६ हे० यानि रकबा
१।।।)२ एक बीघा सत्तरह बिस्वा स्थित मौजा बैरी
अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर.
का १।४ एक बटा चार भाग विक्रय किया गया है। भूमि
बेचने की आज्ञा श्रीमान सक्षम प्राधिकारी महोदय नगर भूमि
सीमारोपण कार्यालय पारपती बागदा रोड शहर कानपुर
मे बजरिये पत्र संख्या ९८० कृषि भूमि सन् १९८५ ई० को

रामलाली
रामलली

20 Rs.

बीस रुपये

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

प्राप्त करली है। स्टाम्प ड्यूटी सरकारी निर्देशानुसार सर्किल रेट ३,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ७०,५००/- रुपया पर मुबलिग १०,२२५/- रुपया की अदा कीगयी है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। मुकिरा अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति का नहीं है। जोन नम्बर २ ब्लाक कल्यानपुर है।

चौहद्दी-

पूरब- खा०नं० १०६१ राम कुमार, बाबूराम व राजकुमार

पश्चिम- खा०नं० १०५६ क्रेता महावीर सह०आ० समितिलि०

उत्तर- आराजी नम्बर १०६० का जुज भाग मिलकियती क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति

दक्षिण- बैरीअकबरपुर बांगर

तफसील वसूलयाबी जरे समन मुबलिग ४६,२५०/- कियालिस

रामलाल

रामलाल

Compound, Kanpur

INDIA 5 RS

पांच रुपये FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

हजार दो सौ पचास रुपया।

मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया रूबरू श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिर ने उपरोक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- १०-१०-१९९५ ई०

गवाह१-

गवाह-२

टाइपकर्ता

राजेन्द्र कुमार सिंह,
म०न० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME

Ashfaq Khan
Advocate
Court Compound, Kanpur